



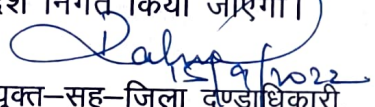
# कार्यालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची। (राजस्व शाखा)

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राँची जिला के अन्तर्गत NHA (एन.एच.ए.आई.) द्वारा भारतमाला परियोजना अन्तर्गत एन0एच0 320 बी (गोला-ओरमांझी सेक्सन) चौड़ीकरण/चार लेन हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी) का अनापत्ति दिया जाता है जो निम्नवत् है :-

| Sl. no | Circle   | Mauja | Thana no. | Khata no.    | Plot no.       | GMJJ          | Nature of Land as per Forest Map |
|--------|----------|-------|-----------|--------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1      | Angara   | Eid   | 01        | 61           | 1012           | 0.7610        | GMJJ                             |
|        |          |       |           |              | 991            | 1.3702        | GMJJ                             |
|        |          |       |           |              | <b>Total</b>   | <b>2.1312</b> |                                  |
| 2      | Ormanjhi | Kute  | 85        | 113          | 354            | 0.0041        | GMJJ                             |
|        |          |       |           | 113          | 355            | 0.0162        | GMJJ                             |
|        |          |       |           | 79           | 443            | 0.0769        | GMJJ                             |
|        |          |       |           | <b>Total</b> | <b>0.0972</b>  |               |                                  |
|        |          | Koalu | 65        | 18/19        | 13             | 0.1502        | GMJJ                             |
|        |          |       |           |              | 157            | 0.645         | GMJJ                             |
|        |          |       |           |              | <b>Total</b>   | <b>0.7952</b> |                                  |
|        |          | Charu | 76        | 84           | 1110           | 0.4169        | GMJJ                             |
|        |          |       |           |              | 1540           | 0.0454        | GMJJ                             |
|        |          |       |           |              | <b>Total</b>   | <b>0.4623</b> |                                  |
|        |          |       |           |              | <b>G.Total</b> | <b>3.4859</b> |                                  |

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी में कुल रकबा-3.4859 हे0, में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

  
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,  
राँची।

ज्ञापांक:- 39500 दिनांक: 15.09.2022 सं0सं0 X-13/2021

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:-आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

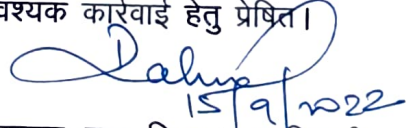
प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय पदाधिकारी, NHA राँची/परियोजना निदेशक, भारतीय राज मार्ग प्राधिकरण, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अंचल अधिकारी अनगड़ा/ओरमांझी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,  
राँची।